



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22650

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3677/2026

श्रीमती शबनम बेगमयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: संजय दुबे, वेद प्रकाश मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् तहसीलदार (न्यायिक), बिलारी, मुरादाबाद को निर्देश देना है कि वह तहसीलदार (न्यायिक), बिलारी, मुरादाबाद के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 7069/2023 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202313540207069) (जमील अहमद बनाम दीपाकर), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत, दिनांक 27.05.2025 के पुनर्स्थापन आवेदन / रिकॉल (पुनर्विचार) आवेदन को एक विशिष्ट अवधि के भीतर शीघ्रता से निस्तारित करें।
3. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उनके आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
4. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण स्थिति है और न ही याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2023 में दायर किया गया है।
5. उपरोक्त के आलोक में, याची को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। हालांकि, अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त मामले को कानून के अनुसार कड़ाई से तीन महीने की अवधि के भीतर बिना किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए तय करे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2 फरवरी, 2026

विनोद।

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"